फ़ाइल संख्या 1-9/2018-पीडी.2 (ई. 358148)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 08 नवम्बर, 2018

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आधार की आवश्यकता के संबंध में।

संदर्भ:

1. आधार अधिसूचना का. आ. संख्या 371 (ई) दिनांक 08.02.2017 और समय-समय पर विस्तारित किया गया।
2. दिनांक 24.10.2017 के पत्र संख्या 1(8)-2017-पीडी -2 के माध्यम से राशन कार्ड के साथ आधार संख्या जोड़ने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श पत्र

महोदय/महोदया,

मुझे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार के उपयोग के लिए आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत दिनांक 08.02.2017 के का. आ. संख्या 371 (अ) के माध्यम से इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 494 और उससे संबंधित मामलों के संबंध में हाल ही में दिनांक 26.09.2018 के आदेश में कहा है कि जो व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत कोई भी सब्सिडी, लाभ या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे संबंधित व्यय भारत की समेकित निधि से पूरा किया जाता है, उनके पास आधार संख्या (अथवा जिन्हें आधार नंबर प्रदान नहीं किया गया है, उन्हें नामांकन के लिए आवेदन करने का प्रमाण) होना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि इस तरह के

लाभ/सब्सिडी आदि प्राप्त करने के समय ऐसे व्यक्ति को बायोमेट्रिक प्रमाणन (फिंगरप्रिंट/आईआरएलएस) कराना अपेक्षित होगा।

2. इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि धारा- 7 के तहत जारी उपर्युक्त अधिसूचना की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी और अंतिम बार इसे दिनांक 27.09.2018 की अधिसूचना का. आ. संख्या 4989 (ई) द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया गया है। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि जिन लाभार्थियों के पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 31.12.2018 तक उपलब्ध समय का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस प्रायोजनार्थ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान/शिविर (ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए) आयोजित किए जाएं। दिनांक 08.02.2017 की अधिसूचना के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के पहले परंतुक के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि लाभार्थी को आधार संख्या दिये जाने तक लाभार्थी को आधार संख्या प्राप्त न के कारण सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों अथवा खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में वैध राशन कार्ड के साथ आधार नामांकन आईडी स्लिप या आधार संख्या प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक प्रति और उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट 8 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर लाभ (सब्सिडी वाले खाद्यान्न/नकद हस्तांतरण) प्राप्त करने की अनुमति होगी।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रमाणन विफल होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को सब्सिडी/लाभ/सेवा से स्वतः वंचित नहीं किया जाना चाहिए; इसके बजाय, इन मामलों में विफलता के कारणों को खोजने के बाद ऐसे व्यक्तियों की पहचान हेतु वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणन फिंगरप्रिंट (वृद्ध लाभार्थियों के मामले में) में परिवर्तन/विरूपण के कारण विफल रहता है; अथवा दुर्घटना या किसी बीमारी आदि के परिणामस्वरूप उंगलियों को नुकसान पहुंचता है या किसी प्रकार की विकलांगता के कारण और आईएनएस के माध्यम से व्यक्ति के अंधत्व आदि सहित कुछ कारणों से भी विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक साधनों से ऐसे व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा।

4. इस विभाग ने दिनांक 24.10.2017 (प्रति संलग्न) के पत्र के माध्यम से ऐसी व्यवस्था हेतु पहले से ही प्रावधान किया है, जिसमें नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्या के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणन की विफलता के मामले में अथवा अन्य तकनीकी कारणों से बॉयोमीट्रिक

ब्यौरे में समस्या के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणन की विफलता के मामले में लाभार्थी को अधिनियम ["आधार संख्या का प्रमाण"] की धारा 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार राशन कार्ड के साथ लाभार्थी को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के स्थान पर राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न या खाद्य सब्सिडी का नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाना चाहिए। उन सभी मामलों में, जहां आधार आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव नहीं है और दिनांक 24.10.2017 के पत्र के पैरा-6 में वर्णित अपवाद हैंडलिंग तंत्र के आधार पर लाभ, सेवा या सब्सिडी प्रदान की जाती है, वहां लेनदेन को उक्त पत्र में निर्धारित अपवाद हैंडलिंग रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाएगा और इनकी समय-समय पर लेखापरीक्षा की जा सकती है। यह पुन: दोहराया जाता है कि उपरोक्त कारणों से बॉयोमीट्रिक प्रमाणन की विफलता के आधार पर एनएफएसए के तहत किसी भी लाभार्थी को सब्सिडी वाले खाद्यान्नों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

5. अत: सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उपर्युक्त बिंदुओं पर तत्काल यथापेक्षित कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया जाता है।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,
हस्ता./-
(डी.के. गुप्ता)
निदेशक (पीडी)
दूरभाष : 23070429

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

सीईओ, यूआईडीएआई, बंगला साहिब रोड़,काली मंदिर के पीछे, गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001